न०कर्त०आ०दे०श०दि०12-9-12

न्यायालय उपजिलाधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी

वाद संख्या 32 सन् 2012

अन्तर्गत धारा 143 उत्तर प्रदेश जं०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

ग्राम– बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज ——बनाम—— सरकार उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत वाद वादी मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज बैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र राजनबाबू निवासीग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर द्वारा इस अभिकथन के साथ दाखिल किया है कि आराजी संख्या 594 स्थित मौजा बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी की भूमिधरी थी जो दर्ज खातेदार मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज बैशकांटी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजनबाबू निवासी ग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के नाम अंकित है। उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हो चुका है उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नही होता है बल्कि राजस्व अभिलेखों में शैक्षिक संस्थान के नाम अंकित है। उक्त भूखण्ड आज की तिथि पर अकृषिक है और भूमि पर डिग्री कालेज बना है जिसमें शैक्षणिक कार्य अनवरत हो रहा है। उक्त भूखण्ड को अन्तर्गत धारा 143 जं०वि०अधि० के तहत अकृषिक घोषित किया जाय।

वाद उपरोक्त की जांच तहसीलदार मंझनपुर से करायी गयी। तहसीलदार मंझनपुर की जांच आख्या दिनांक 10–9–2012 द्वारा कहा गया है कि ग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर की खतौनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या 285 गाटा संख्या 594 रकबा 1.086 हे० पर मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिकी कालेज बैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजन बाबू निवासीग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर जरिये बैनामा अंकित हैं। प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 594 रकबा 1.086 पर वर्तमान समय पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त भूमि पर बाउण्ड्री बनी है तथा विद्यालय की बिल्डिंग बनी है। प्रश्नगत भूमि गांव सभा व भूदान की नही है। प्रश्नगत भूमि में उक्त महाविद्यालय निर्मित और शिक्षण कार्य अनवरत चालू है। अतः ग्राम बैशकांटी की खतौनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या 285 गाटा संख्या 594 रकबा 1.086 हे० जो मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज बैशकांटी कौशाम्बी के नाम अंकित है, को धारा 143 जं०वि० अधि० के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैने वादी पक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार मंझनपुर की आख्या दिनांक 10–9–2012 का सम्यक् अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर की खतौनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या 285 गाटा संख्या 594 रकबा 1.086 हे० पर मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज बैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजन बाबू निवासीग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर जरिये बैनामा अंकित हैं। प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 594 रकबा 1.086 पर वर्तमान समय पर कृषि कार्य नही होता है। उक्त भूमि पर बाउण्ड्री बनी है तथा विद्यालय की बिल्डिंग बनी है। प्रश्नगत भूमि गांव सभा

NOTARIAL

प्रबन्धक
मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज
बैशकांटी कौशाम्बी

21-9-12

व भूदान की नही है। प्रश्नगत भूमि में उक्त महाविद्यालय निर्मित और शिक्षण कार्य अनवरत चालू है इसलिये विवादित आराजी को अकृषिक घोषित किया जाना विधिक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंझनपुर स्थित गाटा संख्या 594 रकबा 1.086 हे० अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार मंझनपुर की आख्या दिनांक 10-9-2012 जिस पर प्रदर्श क-1 एवं नजरी नक्शा दिनांक 7-9-2012 जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित है, इस आदेश का अंग होगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

12/10/12

उपजिलाधिकारी
मंझनपुर

NOTARY
GOVT OF INDIA

प्रबन्धक
मुन्शी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज
बैशकांटी कौशाम्बी

Advocate Notary

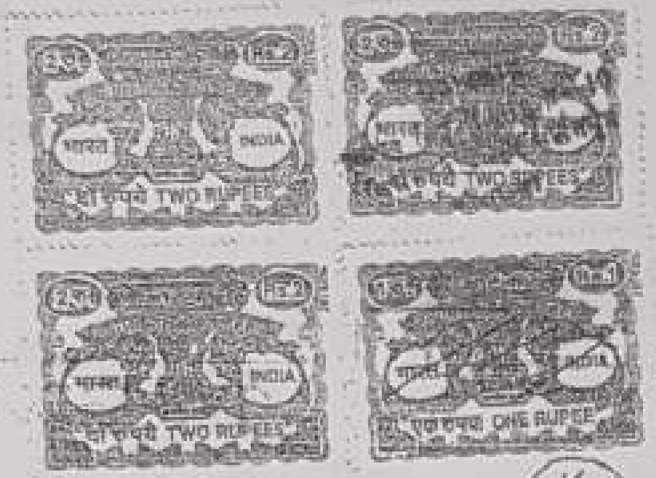

[illegible] का [illegible] 20-9-2012
[illegible] 21-9-2012
[illegible] 21-9-2012
[illegible] 195 शब्द [illegible]
[illegible] 7-00

[illegible] [signature]

[illegible]धिकारी
[illegible]पुर-कौशाम्बी